रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 1985/माघ 12, 1906
No. 29] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 1985/MAGHA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 4-ईटीमी(पीएन)/85

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1985

विषय :—मोर की दुम के पंखों और उनसे निर्मित वस्तुओं/हस्तशिल्पों की निर्यात नीति ।

मिसिल सं. 30(2)/84-ई-2.—आयात-निर्यात नीति, 1984-85 (खंड-2) के पृष्ठ 10 पर नीति विवरण की क्रम सं. 4(घ) के सामने मोर की दुम के पंखों और

उनसे निर्मित वस्तुओ/हस्तशिल्पो के निर्यात के लिए लाइसेंस नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि "अन्य सार्वजनिक क्षेत्र या सहकारिता अभिकरणो" को भी निर्धारित सीमा के भीतर मोर की दुम के पंखो का निर्यात करने की अनुमति दी जाए ।

3. तदनुसार, आयात-निर्यात नीति 1984-85 (खंड-2) के पृष्ठ 10 पर नीति विवरण की क्रम सं. 4(घ) के सामने कालम 3 मे प्रविष्टि स. 1(घ) के बाद निम्न लिखित प्रविष्टि जोडी जाएगी —

"(ङ)—अन्य सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारिता अभिकरण ।".

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक- आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE & SUPPLY

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 4-ETC(PN)/85

New Delhi, the 1st February, 1985

Subject.—Export Policy of Peacock Tail Feathers and articles/handicrafts manufactured therefrom.

File No. 30(2)/84-EII.—Attention is invited to the licensing policy for export of Peacock Tail Feathers and articles/handicrafts manufactured therefrom occurring against S. No. 4(d) of the Policy Statement at page 10 of the Import and Export Policy Vol. II, 1984-85.

2. It has been decided to permit "Other Public Sector or Co-operative Agencies" also to export Peacock Tail Feathers within a limited ceiling.

3. Accordingly, the following entry may be added after entry No. 1(d) in Col. 3, against S. No. 4(d) of the Policy Statement at page 10 of the Import and Export Policy Vol. II, 1984-85 :—

"(e)—Other Public Sector or Co-operative Agencies.".

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1985